

भाकृअनुप -केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान

(समतुल्य विश्वविद्यालय), पंच मार्ग, ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400061



दूरभाष. नंबर 022-26361446/7/8, वेब साइट:https://www.cife.edu.in

एफ.नं. 23(1)/2024/स्था.

दिनांक: 19 नवंबर, 2024

कार्यालय आदेश

निदेशक, आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई ने सीआईएफई न्यू कैंपस में टाइप IV कार्टर में फ्लैट नंबर 102 डॉ. सौरव कुमार, विरष्ठ वैज्ञानिक, आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई को निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर आवंटित किया है:

- 1. यह कि लाइसेंस शुल्क एफ.आर. के तहत उनके वेतन से वसूल किया जाएगा। 45-ए फ्लैट के कब्जे की वास्तविक तारीख़ से प्रभावी होगा।
- 2. उसे निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उनके पास या उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य के नाम पर मुंबई जिले में कोई घर है/नहीं है।
- 3. लाइसेंस शुल्क की वसूली सरकार द्वारा जारी संशोधित दरों के अनुसार की जाएगी। भारत सरकार, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, संपदा निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/82/2015-पोल। ॥ दिनांक 19 जुलाई, 2017 और क्रमांक 18011/2/2015-Pol.॥ दिनांक 29 जून, 2020 उक्त तिमाही के कब्जे की तारीख से। वह एचआरए के भुगतान के लिए पात्र नहीं है।
- 4. अपनी पोस्टिंग के स्टेशनों पर/निकटवर्ती घरों के मालिक अधिकारियों के लिए लाइसेंस शुल्क की वसूली समय-समय पर जारी आईसीएआर आदेशों के अनुसार बढ़ी हुई दरों पर की जाएगी।
- 5. उसे सीआईएफई/आईसीएआर द्वारा समय-समय पर संशोधित सभी प्रासंगिक नियमों और आदेशों का पालन करना चाहिए।
- 6. क्वार्टर नंबर 102 का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा, यदि इसकी स्वीकृति इस कार्यालय के प्राधिकरण आदेश की प्राप्ति से आठ दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो आवंटी को आवंदन न करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए आवंदन करने से रोक दिया जाएगा और एक महीने की सामान्य लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा।

(कै. एल. मीणा) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (एस जी)

वितरण:

- 1. डॉ. सौरव कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई।
- 2. निदेशक एवं संयुक्त निदेशक कक्ष, सीआईएफई, मुंबई
- 3. संपदा अधिकारी, सीआईएफई, मुंबई
- 4. प्रभारी अधिकारी (कार्य), सीआईएफई मुंबई
- 5. सीएओ (एसजी)/ नियंत्रक/ एफएंडएओ/ एओ, सीआईएफई मुंबई
- 6. डीडीओ, सीआईएफई, मुंबई। लाइसेंस शुल्क की वसूली उसके द्वारा सूचित व्यवसाय की तारीख से उसके वेतन से की जा सकती है।
- 7. सचिव आईजेएससी, सीआईएफई मुंबई
- 8. व्यक्तिगत फ़ाइल/सेवा पुस्तिका/डीलिंग सहायक
- 9. webmaster@cife.edu.in
- 10. गार्ड फाइल

HIP JFRI ICAR

ICAR-CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES EDUCATION

(Deemed University)
Panch Marg, Off Yari Road, Versova,
Andheri (West), Mumbai-400061
Tel. No. 022-26361446/7/8, Web Site: https://www.cife.edu.in



F.No. 23(1)/2024/Estt.

Date: 19th November, 2024

OFFICE ORDER

The Director, ICAR-Central Institute of Fisheries Education, Mumbai has allotted Flat No.102 in the Type IV Quarter at CIFE New Campus to Dr. Saurav Kumar, Senior Scientist, ICAR-CIFE, Mumbai on the following terms & conditions mentioned here under:

- 1. That the license fee shall be recoverable from his salary under F.R.45-A with effect from the actual date of occupation of the flat.
- 2. That he should furnish a declaration in the prescribed form that he owns/ does not own a house in the District of Mumbai either his name or any of his dependent family members.
- 3. The recovery of license fee shall be made as per revised rates issued by the Govt. of India, Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation, Directorate of Estates, New Delhi vide Office Memorandum No.18011/82/2015-Pol. III dated 19th July, 2017 and No.18011/2/2015-Pol.III dated 29th June, 2020 from the date of occupation of the said quarter. He is not eligible for the payment of HRA.
- 4. The recovery of license fee for the officers owning houses at/ near stations of their posting will be charged at the enhanced rates as per the ICAR orders issued from time to time.
- 5. He should be abide by all relevant rules and orders as modified from time to time by the CIFE/ ICAR.
- 6. That the allotment of the Quarter No. 102 will stand cancelled, if its acceptance is not received within eight days from the receipt of this Office Order of authorization will debar the allottee to apply for a period of three months from the date of non-acceptance subject to payment of one month's normal license fee.

(K. L. Meena)
Chief Administrative Officer (SG)

Distributions:

- 1. Dr. Saurav Kumar, Senior Scientist, ICAR-CIFE, Mumbai.
- 2. Director & Joint Director Cell, CIFE, Mumbai
- 3. The Estate Officer, CIFE, Mumbai
- 4. Officer Incharge (Works), CIFE Mumbai
- 5. CAO (SG)/ Comptroller/ F&AO/ AOs, CIFE Mumbai
- 6. DDO, CIFE, Mumbai. Recovery of License Fee may be affected from his salary with effect from the date of occupation intimated by him.
- 7. Secretary IJSC, CIFE Mumbai
- 8. Personal File/ Service Book/ Dealing Assistant
- 9. webmaster@cife.edu.in
- 10. Guard File